तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज अर्जुनराम हरडू जोधा बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार बावड़ी) सू.अ.अ. अपील संख्या 45/2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.06..20	दिनांक 23.03.2020 से दिनांक 31.05.20 तक लोकडाउन घोषित होने से पत्रावली आज पेशी पर ली गई। संक्षित में अपील इस प्रकार है कि अपीलार्थी अर्जुनराम हरडू, पता भारी नगर, पोस्ट धनारी कला, तहसील बावड़ी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 17.01.20 में उसके द्वारा (1) पटवारी हलका धनारीकला के पटवारी की दैनिक डायरी की प्रतिलिपि पिछले 4 वर्ष की व सी.एल., पी.एल मेडिकल इत्यादि का विवरण गत चार वर्षो का व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बावड़ी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 326 दिनांक 29.01.20 को 24332/– रू. सूचना शुल्क जमा कराने को कहा गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार बावड़ी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार बावड़ी) से जरिये पत्रांक 250 दिनांक 12.03.2020 रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें बतलाया कि प्रार्थी को वांछित शुल्क रूपये 24332/– रूपये के पोस्टल ऑर्डर के रूप में पेश करने के लिए रजिस्टर्ड डाक से पत्र भेजकर लिखा गया। प्रार्थी द्वारा आज तक शुल्क नहीं जमा कराया है। अपनी रिपोर्ट में यह भी बतलाया कि राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र कमांक प.20(84)प्रसु./सूअप्र./2009 पार्ट जयपुर दिनांक 12.10.2018 के अनुसार किसी विशेष अधिनियम में दस्तावेजों की प्रतिलिपि लेने हेतु अथवा उनके निरीक्षण हेतु कोई विशेष शुल्क निर्धारित है तो ऐसी स्थिति में उसके अनुसार शुल्क लेना चाहिए अर्थात् ऐसे दस्तावेज पर शुल्क सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधान लागू नहीं होते है। अन्त में प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना शुल्क जमा नहीं करवाने के लिए अपील निरस्त करने की प्रार्थना की गई। अपीलार्थी ने अपील में बतलाया कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में 4A या 3A आकार के लिए दो रूपये निर्धारित किये गये है अतः ज्यादा शुल्क मांग कर कानून की मूल भावना के खिलाफ अपना मन्तव्य रख रहे है, साथ लोक सूचना अधिकारी अपने पदीय कर्तव्य का उल्लंघन किया है। तहसीलदार की रिपोर्ट के संलग्न राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र कमांक प.20(84)प्रसु./सूअप्र./2009 पार्ट जयपुर दिनांक 12.10.2018 की प्रति का अवलोकन किया जिसमें स्पष्ट किया गया कि किसी	

जिला

विशेष अधिनियम में दस्तावेजों की प्रतिलिपि लेने हेतु अथवा उनके निरीक्षण हेतु कोई विशेष शुल्क निर्धारित है तो ऐसी स्थिति में उसके अनुसार शुल्क लेना चाहिए अर्थात् ऐसे दस्तावेज पर शुल्क सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधान लागू नहीं होते है। अतः हम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बावड़ी) की रिपोर्ट से सहमत है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का दस्तावेज एक विशेष अधिनियम के अन्तर्गत होने एवं उनकी प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने का शुल्क निर्धारित किया हुआ है अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा निर्धारित शुल्क जमा नहीं करवाया गया। प्रार्थी अब भी सूचना प्राप्त करने के लिए गंभीर है तो लोक सूचना अधिकारी द्वारा चाहा गया सूचना शुल्क जमा कराकर प्राप्त कर सकता है। उपरोक्त, विवेचनानुसार अपील अपीलार्थी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।